

बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि०

(कृषि विभाग का उपक्रम)

कृषि उद्योग भवन सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना-1

पत्रांक-457

दिनांक-17-08-2016

अल्पकालिन निविदा आवेदन की सूचना निविदा सं०-07/16

बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि० कृषि उद्योग भवन सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना के मुख्य भवन के प्रांगण एवं भंडार में पड़े जर्जर बेकार स्क्रैप सामग्रियों की निलामी हेतु अल्पकालिन निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा सूचना निर्गत की तिथि से दिनांक 30/08/2016 के अपराहण 4 बजे तक निबंधित डाक द्वारा सील बंद लिफाफे में निगम के कृषि उद्योग भवन स्थित मुख्यालय में नियंत्रक भंडार एवं क्रय के कार्यालय में जमा किया जा सकेगा तथा दिनांक 31/08/2016 को प्रबंधनिदेशक के समक्ष प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति तथा निविदा धारक के उपस्थिति में दिनांक 31/08/2016 को अपराहण 3 बजे निगम के मुख्यालय में खोला जायेगा।

स्क्रैप सामग्रियों के नाम, संख्या एवं न्यूनतम मूल्य निम्न है-

क्र०	सामग्रियों का नाम	संख्या	न्यूनतम मूल्य	अभियुक्ति
1	आलमीरा आंशिक क्षतिग्रस्त	07	1,500/-प्रति	
क	आलमीरा अधिक क्षतिग्रस्त	20	1,200/-प्रति	
ख	आलमीरा पूर्ण क्षतिग्रस्त	5	800/-प्रति	
ग	छोटा	2	1000-प्रति	
2	पंखा क्षतिग्रस्त	17	300/-प्रति	

3	टाईप राइटर	20	2,000 /-प्रति	
4	टेबल बड़ा क्षतिग्रस्त	1	1,000 /-प्रति	
क	टेबल सिर्फ उपरी भाग	3	500 /-प्रति	
ख	टेबल मध्य भाग	16	8,000 /-प्रति	
ग	टाईपिंग टेबल छोटा	02	500 /-प्रति	
5	हरीश क्षतिग्रस्त	12	150 /-प्रति	
6	जर्जर लकड़ी जलावन लायक		500 /-प्रति क्वी0 रू0 5 प्रति कि0	
7	भंडार में पड़े स्क्रैप टैक्टर एवं पावरटीलर का पार्टस सामग्रियों खिड़की आदि		14 प्रति किलो	
8	ट्रक	1	56,000 /-	
9	कार	2	9,000 /-	
10	जीप	2	9,000 /-	

नोट:- लोहे का मूल्य न्यूनतम रू0-14 प्रति किलो तथा जलावन लायक लकड़ी का मूल्य रू0 5 किलों।

निविदा की शर्तें:-

1. निविदा धारक को निविदा के साथ जमानत राशि के तौर पर रू0 10,000 / (दस हजार रू0) जमा करना होगा अन्यथा निविदा रद्द कर दिया जायेगा।
2. निविदा का आवंटन अधिकतम राशि वाले निविदा धारक को आवंटित किया जायेगा।
3. आवंटित निविदा धारक को आवंटन के तिथि से तीन दिनों के अन्दर आवंटित सामग्रियों की पूरी राशि (जमानत राशि के अति रिक्त) बैंक ड्राफ्ट

के द्वारा बिहार स्टेट एग्री इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन के नाम जमा करना होगा।

4. ससमय राशि जमा नहीं किये जाने के स्थिति में आवंटन रद्द कर दिया जायेगा एवं जमानत राशि जप्त कर ली जायेगी।
5. राशि जमा किये जाने के पश्चात् आवंटित सामग्रियों के उठाव की अनुमति प्रदान की जायेगी।
6. जिन निविदा धारकों को निविदा का आवंटन नहीं हुआ उनका जमानत राशि तत्काल वापस कर दिया जायेगा।
7. अप्रत्याशित कारणों से निविदा को रद्द करने का अधिकार निगम को सुनिश्चित होगा।
8. निविदा जमा करने के पूर्व निविदा में अंकित सामग्रियों की स्थिति एवं संख्या की जाँच निगम के भंडार सहायक के उपस्थिति में निविदा धारक द्वारा कर ली जाय।



ए०के० शर्मा

प्रशासी पदा० सह

क्षेत्रीय प्रबंधक